



मलिन बस्ती निवासियों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन (इलाहाबाद नगर के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. श्रीनिवास मिश्र

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, सतना (म.प्र.)

सारांश :- प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद जिले को उद्देश्यपूर्ण विधि से चयनित किया गया। इसमें इलाहाबाद नगर की मलिन बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता एवं विकास कार्य की प्रभाविता के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शोध अध्ययन किया गया है। समग्र के प्रतिनिधित्व हेतु 5 बस्तियों के 1311 परिवार में से 300 परिवारों को न्यायदर्श बतौर अध्ययन में सम्मिलित किया गया। समस्त संकलित आंकड़ों एवं सूचनाओं को चयनित क्षेत्र से संकलित किया गया है जिसके आधार पर मास्टर चार्ट तैयार किया गया, तत्पश्चात् सारणीयन कर विश्लेषण एवं विवेचन किया गया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 86.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है जबकि 13.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों की शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है। 51.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुई है जबकि 48.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं हो पायी है। 35.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को निःशुल्क पुस्तक प्राप्त हुई है जबकि 64.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को निःशुल्क पुस्तक प्राप्त नहीं हो पायी है। 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्राप्त होता है जबकि 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है।

मुख्य शब्द :- मलिन बस्ती, निवासी, सामाजिक, शैक्षणिक, स्थिति, समाजशास्त्रीय आदि।

प्रस्तावना:

भारत एक विकासशील देश है। विकास का अर्थ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा तथा जीविका के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना। आज हमारे देश की आजादी के 67 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यह बात केवल शोध का विषय बनकर रह गई है या विचारों के रूप में पढ़ने-सुनने को मिलती है। भारत के सबसे बड़े नगरों में शहरी जनसंख्या के एक चौथाई और आधे के बीच व्यक्ति कम गुणवत्ता के आश्रयों एवं गंदी बस्तियों में रहते हैं। देश के कुल परिवारों में से कम से कम 15 प्रतिशत आवास से वंचित हैं, घरों के 60 प्रतिशत से अधिक में रोशनी और हवा की सुविधा अपर्याप्त है और 80 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 30 प्रतिशत शहरी जनसंख्या कच्चे मकानों में रहती है। लाखों व्यक्तियों को अत्यधिक किराया देना पड़ता है, जो उनके साधनों



से परे होता है। विश्व के कई देशों में ग्रह निर्माण राज्य अथवा उत्कृष्ट भवन निर्माताओं द्वारा ही किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ तीसरी दुनिया के देशों में ग्रहों की मांग अत्यधिक होती है, किन्तु पूर्ति अत्यंत ही कम है, अतः इन कमजोर मकानों के क्षेत्र को झुग्गी कहा जाता है। ऐसा रिहायशी क्षेत्र जिसमें सब ओर टूट-फूट, भीड़-भाड़, धूल और गन्दगी देखने को मिलती है। इसमें साधारण समुदाय के निर्धन लोग रहते हैं – विशेषतः ऐसे लोग जिन्हें मजदूरी छोटी-मोटी बिक्री और दुसरे ऐसे काम पास-पड़ोस में ही मिल जाते हैं। ये लोग प्रायः गांवों की भुखमरी से बचने के लिए शहरों में आते हैं, वहां अमानवीय जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। मलिन बस्ती एक स्थानिक समस्या होती है, जिसमें एक छोटे भू-भाग पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव होता है, जो कि जीवन की परिस्थितियों के लिए हानिकारक होता है।

बढ़ती जनसंख्या के साथ ही संसाधनों तथा सुविधाओं का हास हो रहा है। समस्याओं के समाधान व निराकरण में सहायता मिल सके तथा जीवन स्तर का अध्ययन कर नगरीय विकास को सुनियोजित व लोकोपयुक्त बनाया जा सके। मलिन बस्तियों में विभिन्न समस्याओं के साथ-साथ अभिव्यक्ति साथ ही व्यक्ति के रहन-सहन के साथ-साथ उसके विचारों में भी अन्तर पाया जाता है। बढ़ती जनसंख्या ने ग्रामीण व शहरी वातावरण में एक समस्या उत्पन्न कर दी है, जिसमें जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप नगरीय संरचना में अनियंत्रित, अनियोजित परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। सामान्यतः इन मलिन बस्तियों का निर्माण अवैध रूप से ग्रह निर्माण तथा आर्थिक स्थिति निम्न होने के परिणामस्वरूप दयनीय जीवन यापन के साथ होता है। यहाँ ना ही स्वास्थ्य के साधन होते हैं, जिनके कारण कई बीमारियाँ अपना घर इन क्षेत्रों में बनाती रहती है, जिस कारण इन क्षेत्रों का पोषण स्तर निम्न रहता है। यदि वातावरणीय तौर पर देखा जाए तो यहाँ जल-मल निकास और सिवेज, ग्रह दशायें, स्वास्थ्य दशायें निम्न होती हैं। इन बस्तियों के घर कच्चे होते हैं, जो घास-फूस या मिट्टी के बने होते हैं। इनकी छत प्लास्टिक या पॉलीथिन की बनी होती है, तथा कुछ मकानों पर टीन की चद्दरों (पतरें) की छत होती है। इन बस्तियों के पड़ोस में कीचड़ युक्त तथा नालियाँ गन्दे पानी से भरी होती हैं। इन नालियों में मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े-मकोड़े तथा कई बैक्टीरिया पनपते रहते हैं। अतः प्रदूषण युक्त वातावरण से उत्पन्न कई बीमारियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इनकी सड़के ऊबड़-खाबड़ तथा गड़ड़े युक्त कच्ची सड़के पाई जाती हैं। यहाँ तंग तथा नम (कीचड़युक्त गलियाँ) होती हैं। जिसके कारण यहाँ रात में निकलना मुश्किल होता है। मलिन क्षेत्रों की समस्या केवल भारत की ही नहीं वरन् यूरोप, उत्तर अमेरिका एवं अफ्रीकी देशों में विकराल समस्या के रूप में सामने आयी है। मलिन बस्तियाँ आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के रूप में पिछड़ेपन के कारण अपराध का केन्द्र बन जाती हैं, जिससे आपराधिक एवं अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलता है।

1991 की तुलना में 2001 में इनकी जनसंख्या में वृद्धि तो हुई परन्तु कुल जनसंख्या वृद्धि की तुलना में इनकी वृद्धि कम थी। इस समय इन्दौर में मलिन बस्तियों की जनसंख्या 303860 थी। जो कुल जनसंख्या का 19.20 प्रतिशत थी और इसका कुल क्षेत्र 58.79 हेक्टेयर था। सन् 2011 के आते-आते इनकी जनसंख्या



797574 तथा कुल जनसंख्या 19,60,031 हो गई। अर्थात्, मलिन बस्तियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या 40.67 प्रतिशत हो गयी है।

शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं शासन के लिए उप-मिशन निदेशालय के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र क्षेत्र एवं परियोजनाएं:

भारत में शहर और नगर चूंकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शहरी व्यवस्था है तथा देश के जीडीपी में 50 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान करते हैं अतः वे आर्थिक वृद्धि के केन्द्र बिन्दु हैं। नगरों के लिए अपनी पूरी क्षमता को पहचानने तथा वृद्धि के प्रभावी इंजन बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुधार पर केन्द्रीभूत ध्यान दिया जाए। इसे शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए उप-मिशन निदेशालय के माध्यम से शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है उप-मिशन का मुख्य बल शहरी गरीबों को उपयोगी सेवायें प्रदान करने की दृष्टि से आश्रय, बुनियादी सेवायें तथा अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए परियोजनाओं के माध्यम से स्लमों (गंदी वस्तियों) का एकीकृत विकास किया जा रहा है।

जेएनएनयूआरएम सहायता के लिए पात्र क्षेत्र एवं परियोजनाएं निम्नानुसार होती हैं:

1. शहरी नवीकरण, जिसका उद्देश्य अत्यन्त (पुराने) क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना है इसमें संकरी गलियों को चौड़ा करना, भीड़-भाड़ कम करने के लिए गैर-पुष्टि वाले क्षेत्र (अन्य शहर) से पुष्टि वाले क्षेत्र (बाह्य शहर) में उद्योग एवं वाणिज्यिक स्थलों को स्थानांतरित करना, पुराने एवं छोटे पाइप निकालकर उनके स्थान पर ज्यादा क्षमता वाले पाइप बिछाना, सीवर एवं ठोस कूड़ा-कचरा निपटान आदि सम्मिलित हैं।
2. जल आपूर्ति (डिसालिनेशन संयंत्रों को सम्मिलित करते हुए) एवं स्वच्छता।
3. सीवर एवं ठोस कूड़ा-कचरा प्रबंधन।
4. नाले एवं बाढ़ के पानी वाले नालों का निर्माण एवं सुधार।
5. सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेस वे, एमआरटीएस एवं मेट्रो प्रोजेक्ट को सम्मिलित करते हुए शहरी परिवहन।
6. पीपीपी आधार पर पार्किंग लाट एवं स्थान, विरासत क्षेत्रों का संरक्षण।
7. मिट्टी का खिसकना एवं भूस्खलन से रोकथाम तथा पुनर्वास केवल उन विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में है, जहाँ ऐसी समस्याओं का घटित होना सामान्य सी बात हो।
8. अजल निकायों का संरक्षण।



अध्ययन के उद्देश्य: मलिन बस्ती निवासियों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले को उद्देश्यपूर्ण विधि से चयनित कर प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सम्मिलित किया गया है। इसमें इलाहाबाद शहर की मलिन बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता एवं विकास कार्य की प्रभाविता के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शोध अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का समग्र: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर की मलिन बस्तियों में निवासरत समस्त जनसंख्या को अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन की ईकाई: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर की मलिन बस्तियों के चयनित परिवार को अध्ययन की ईकाई के रूप में सम्मिलित किया गया है।

नदर्शन विधि: शोध अध्ययन क्षेत्रियता की परिधि में वृहद आकार की संभावना लिये होता है। अतः बड़े समुदाय में से कुछ प्रतिनिधि ईकाईयों का चयन कर लिया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में चयनित परिवारों का वर्णन इस प्रकार है—

क्रमांक	बस्तियों के नाम	कुल परिवार संख्या	चयनित परिवारों की संख्या
1.	करेली	546	120
2.	देवघाट	220	50
3.	झलवा	350	90
4.	नैनी	80	20
5.	झूँसी	115	20
	कुल	1311	300

अध्ययन की जाने इन 5 बस्तियों में 1311 परिवार निवासरत है। समग्र के प्रतिनिधित्व हेतु 5 बस्तियों के 1311 परिवार में से 300 परिवारों को न्यायदर्श बतौर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

प्राथमिक स्रोत: प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के रूप में साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन तथा समूहचर्चा आदि का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक स्रोत: प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्य संकलन के द्वितीय स्रोत के रूप में विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थ, सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का उपयोग किया गया है।

विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि: समस्त संकलित आंकड़ों एवं सूचनाओं को चयनित क्षेत्र से संकलित किया गया है जिसके आधार पर मास्टर चार्ट तैयार किया गया, तत्पश्चात् सारणीयन कर विश्लेषण एवं विवेचन किया गया।

तालिका 1

**सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण बच्चों की शिक्षा में सुधार होने का विवरण**

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	259	86.3
02	नहीं	41	13.7
योग		300	100.0

उपर्युक्त तालिका में सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण बच्चों की शिक्षा में सुधार होने का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 86.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है जबकि 13.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है।

तालिका 2**सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होने का विवरण**

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	155	51.7
02	नहीं	145	48.3
योग		300	100

उपर्युक्त तालिका में सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होने का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 51.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुई है जबकि 48.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं हो पायी है।

तालिका 3**सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण बच्चों को निःशुल्क पुस्तक प्राप्त होने का विवरण**

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	106	35.3
02	नहीं	194	64.7
योग		300	100

उपर्युक्त तालिका में सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण बच्चों को निःशुल्क पुस्तक प्राप्त होने का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 35.3 प्रतिशत



उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण उनके बच्चों को निःशुल्क पुस्तक प्राप्त हुई है जबकि 64.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण उनके बच्चों को निःशुल्क पुस्तक प्राप्त नहीं हो पायी है।

तालिका 4

सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्राप्त होने का विवरण

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	75	25
02	नहीं	225	75
योग		300	100

उपर्युक्त तालिका में सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन होने का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण उनके बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्राप्त होता है जबकि 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण उनके बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है।

शोध निष्कर्ष:

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 86.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके सुविधायुक्त मकानों में रहने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है जबकि 13.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों की शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है। 51.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुई है जबकि 48.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं हो पायी है। 35.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को निःशुल्क पुस्तक प्राप्त हुई है जबकि 64.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को निःशुल्क पुस्तक प्राप्त नहीं हो पायी है। 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्राप्त होता है जबकि 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- [1]. श्रीवास्तव, सुधीर कुमार (2009), "मलिन बस्तियों की सामाजिक समस्याएं एवं 'डूडा' कार्यक्रमों का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन", राधाकमल मुकर्जी : चिंतन परम्परा,
- [2]. हेवमैन, एस. जे. (1934), "स्लम्स इनसाइक्लोपिडिया ऑफ सोशलसाइन्सेज", दि मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, वोल्यूम-13,



- [3]. शुक्ला, विजयश्री (2005), "मलिन आवासों के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (झाँसी नगर के विशेष संदर्भ में)", बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, (उ.प्र.)।
- [4]. सहाय, सीमा (1994-95), "गन्दी बस्ती में रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर का अध्ययन (दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)", सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केन्द्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, भिलाई (म.प्र.)।
- [5]. देसाई, वी. के. एल. (2003), "सुरत शहर की मलिन बस्तियों में खसरा घटनाओं और टीकाकरण कवरेज का अध्ययन", इण्डियन जर्नल ऑफ कम्प्युनिटी मेडिसिन।
- [6]. अग्रवाल, गोपाल कृष्ण (2012), "समाजशास्त्र (ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र)", एस. बी. पी. डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
- [7]. राव, बी.पी., नन्देश्वर शर्मा (2011), "नगरीय भूगोल", वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर,
- [8]. महाजन, संजीव (2008), "आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन", अर्जुन पब्लिकेशन हाऊसिंग प्रहलाद जली अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली
- [9]. गाबा, ओम प्रकाश (2003), "विवेचनात्मक सामाजिक विज्ञान कोश नेशनल", पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
- [10]. प्रकाश, ज्ञान (1997), "समन्वित बाल विकास परियोजना का इन्दौर नगर के मलिन बस्तियों की महिलाओं एवं बच्चों पर प्रभाव : एक अध्ययन", डॉ. आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, अंक 5 (5),
- [11]. करलिंगर, एफ. एन. (1964), "दि फाउण्डेशन ऑफ विहेवियरल रिसर्च", रिनेहाट एण्ड विन्सटन प्रेस हाउस, न्यूयार्क, पृ. क्र. 4।
- [12]. मुखर्जी आर. एन. (2001), सामाजिक शोध व सांख्यिकी, मातृ आशीष, अष्टम् संस्करण, बरेली।
- [13]. व्यास, हरिश्चंद्र, दामोदर शर्मा (1998), "आधुनिक जीवन और पर्यावरण", प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
- [14]. अग्रवाल, गोपाल कृष्ण (2012), "समाजशास्त्र (ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र)", एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स हाउस, आगरा।